कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

मोगा पिता कचरा डांगी
दमा धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम

विपक्षी सरकार
प्रकरण संख्या 98 / 2025

कार्यवाही विवरण (जी.सी.एम.एस. नम्बर–2025 / 98)

–::निर्णय::–

दिनांक 12/01/2026

उपस्थितः श्री चन्द्रप्रकाश मेहता–अधिवक्ता प्रार्थी
भूमिधारी तहसीलदार झल्लारा उपस्थित।

पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर अंकित किया कि प्रार्थी की भूमि मौजा भीमपुर बरबडी पटवार हल्का झल्लारा तहसील झल्लारा मे स्थित है जिसके खाता संख्या 55 आराजी नम्बर 1135 / 1133 रकबा 2.04 हैक्टेयर है। प्रार्थी उक्त आराजीयात की भूमि के सटमा पडौसी खातेदार के बीच सीमा को लेकर आए दिन आपस में विवाद होता रहता है। अतः भविष्य में होने वाले वाद विवाद से बचने के लिये प्रार्थी अपने खेतो का सीमांकन करा पत्थरगढी करवाना चाहता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की आराजीयात की भूमि की पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार झल्लारा हाजिर रहे।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की बहस अपने प्रार्थना पत्र अनुसार रही तथा भूमिधारी तहसीलदार झल्लारा ने मौखिक कथन किया कि प्रार्थी आराजी नम्बर 1135 / 1133 रकबा 2.04 हैक्टेयर का रेकॉर्डेड खातेदार है, प्रार्थी के आराजीयात की पत्थरगढी की जाती है तो कोई आपत्ति नही है।

बहस मनन की गई एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात / रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी मौजा भीमपुर बरबडी पटवार हल्का झल्लारा तहसील झल्लारा आराजी नम्बर 1135 / 1133 रकबा 2.04 हैक्टेयर भूमि का रेकॉर्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–:आदेशः–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा भीमपुर बरबडी पटवार हल्का झल्लारा तहसील झल्लारा आराजी नम्बर 1135 / 1133 रकबा 2.04 हैक्टेयर भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु पत्थर मय मजदूर खडडा करने एवं रोपने के लिये तहसीलदार को उपलब्ध करवाएं। साथ ही भ–अभिलेख निरीक्षक / पटवारी हल्का को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी शुल्क तहसीलदार, भू.अ.नि. व पटवारी का एक दिन का वेतन मय वाहन खर्च राजकोष में जमा हो। पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में प्रार्थी की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार झल्लारा के नाम जारी की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करे।

निर्णय आज दिनांक 12/01/2026 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर